



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/1467A

दिनांक : 12/06/19

प्रति,

प्राचार्य,

श्री एस.आर.तिवारी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
नेवड़, जिला-नीमच।

विषय :- विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता/सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का आवेदन क्रमांक/REN32200707, दिनांक 31.01.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 10.05.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 14.05.2019 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि, "श्री एस.आर.तिवारी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, नेवड़, जिला-नीमच, सत्र 2019-20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2019-20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये" समिति द्वारा की गई अनुशंसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को सत्र 2019-20 में निम्नानुसार पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

| क्रं. | पाठ्यक्रम |
|-------|-----------|
| 01. | बी.एड. |

- शर्त :-**
01. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत खेल शिक्षकों का चयन कराया जाये।
 02. पाठ्यक्रमानुसार 10 पुस्तकें नवीन संस्करण की क्रय की जाये।
 03. खेल का मैदान विकसित किया जाये।
 04. प्रयोशाला का उन्नयन करवाया जाये।


- * संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा महाविद्यालय के संबंध में दर्शायी गई न्यूनताओं का निराकरण किया जा कर महाविद्यालय निर्धारित दो माह की अवधि पूर्ण होने के पहले अनिवार्य रूप से शपथ पत्र के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे इस प्रक्रिया के लिये संबंधित महाविद्यालय पूर्णतः स्वतः जिम्मेदार होंगे। दर्शायी गई कमियों का निराकरण निर्धारित समय अवधि में नहीं होने के कारण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आगामी परीक्षाओं में प्रश्ति नहीं हो पाते हैं तो संबंधित महाविद्यालय जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुन-विचार किया जावेगा।
- * आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रम की आगामी कक्षा की सम्बद्धता/सम्बद्धता-निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधि में करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद शा.स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, नीमच।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अकादमिक)